# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

बइजलास :– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

मु0न0:– 567/2016

निर्णय दिनांक:– 23/05/2017

जयदीप सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपुत नि0 चित्तौडा तहसील फागी जिला जयपुर।

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर ।

प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री भोजराज सिंह राजावत वकील वादी

**–:: घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती ::–**

**–:: निर्णय ::– दिनांक 23.05.2017**

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप्त इस प्रकार है कि खतौनी संख्या 13 के आराजी ख0न0 466 रकबा 05 बिस्वा भूमि वाके ग्राम चित्तौडा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसका वादी एक मात्र. खातेदार काश्तकार है। तथा लगान सरकारी जमा कराता चला आ रहा है। उक्त आराजी वादी की पुस्तैनी आराजी भूमि है जो वादी को अपने पिता की विरासत से प्राप्त हुई है। उस समय वादी नाबालिंक था। जिसकी आयु उस समय करीब 10–12 वर्ष थी। जिसका राजस्व रिकार्ड में नाम अरूण सिंह पुत्र सुमेर सिंह दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी का सही नाम जयदीप सिंह पुत्र सुमेर सिंह है एवं उक्त नाम से सभी दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, एवं स्कुल टी.सी. प्रमाण पत्र में भी जयदीप सिंह पुत्र सुमेर सिंह दर्ज है। उक्त त्रुटि दौराने नामान्तकरण की गई है। वादी उक्त आराजी पर वर्षो से काबिज है जिसका राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में अरूण सिंह पुत्र सुमेर सिंह दर्ज रखा है। उक्त नाम वादी का ही है। वादी अपने नाम को दुरूस्त करवाने हेतु कई बार पटवारी हल्का से निवेदन कर चुका है एवं राजस्व लोक अदालत कैम्प में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है परन्तु नाम दुरूस्त नही हुआ इसलिये वादी को यह वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी को अब से पूर्व जानकारी नही रही जानकारी होते ही वादी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प चित्तौडा में दिया था। परन्तु वादी का नाम दुरूस्त नही हो सका। वादी का सही

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

लगातार.....2

नाम जयदीप सिंह पुत्र सुमेर सिंह है एवं इसी नाम से गॉव में जाना पहचाना जाता है। अरूण सिंह पुत्र सुमेर व जयदीप पुत्र सुमेर एक ही व्यक्ति है। इस नाम का अन्य व्यक्ति ग्राम चित्तौडा में नही है। जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में अरूण सिंह पुत्र सुमेर के स्थान पर जयदीप सिंह पुत्र सुमेर सिंह किया जाना न्यायोचित है। वाद को सुनने व निस्तारण करने का श्रीमान न्यायालयको श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गई। तथा तहसीलदार फागी ने जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादी का सही नाम जयदीप सिंह पुत्र सुमेर सिंह है जो रिकार्ड में गलत नाम अरूण सिंह पुत्र सुमेर सिंह को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

वादी

2. आया वादी का राजस्व रिकार्ड में विरासत नामान्तकरण में बताया नाम दर्ज हुआ है।

प्रतिवादी

वादी ने साक्ष्य हेतु स्वंय व रामेश्वर पुत्र कानाराम जाति जाट, रामकिशोर पुत्र कल्याण जाति जाट के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रालवी किया गया तथा अपने शपथ पत्र में बताया की अरूण सिंह पुत्र सुमेर सिंह व जयदीप सिंह पुत्र सुमेर सिंह दोना नाम एक ही व्यक्ति जयदीप सिंह के है। इनका नाम राजस्व रिकार्ड में अरूणसिंह दर्ज है जो गलत है। इनका सही नाम जयदीप सिंह है।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का कथंन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया की वादी ने वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया है। तथा मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2072 – 2075 वाके ग्राम चित्तौडा खाता संख्या 12 में अरूणसिंह पुत्र सुमेर सिह कौम राजपूत सा0देह0 दर्ज रिकार्ड है। तथा पत्रावली में संलग्न वादी के अन्य दस्तावेज ड्राईविग लाईसेन्स, मतदाता पहचान पत्र की फौटो प्रतियो मे वादी का नाम जयदीप सिंह पुत्र सुमेर सिंह अंकित है। तथा दिनांक 3.07.2013 को ग्राम पंचायत

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

चित्तौडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र से अरूणसिंह पुत्र सुमेर सिंह व जयदीप सिंह पुत्र सुमेर सिंह एक ही व्यक्ति होना बताया है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर हम वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 13 के आराजी ख0न0 466 रकबा 05 बिस्वा भूमि वाके ग्राम चित्तौडा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी में वादी का नाम अरूणसिंह पुत्र समेरसिंह के स्थान पर जयदीप सिंह पुत्र सुमेर सिंह राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2017 को कैम्प कोर्ट चित्तौडा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला जयपुर

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

## अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी फागी(जयपुर)

बइजलास– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

जयदीप सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपुत निवासी चित्तौडा तहसील फागी जिला जयपुर।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फागी तह0 फागी जिला जयपुर।

## ::– वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती ::–

मुकदमा नं0 – 567/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 13 के आराजी ख0न0 466 रकबा 05 बिस्वा भूमि वाके ग्राम चित्तौडा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजी में वादी का नाम अरूणसिंह पुत्र समेरसिंह के स्थान पर जयदीप सिंह पुत्र सुमेर सिंह राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....फीसदी.....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/05/2017 को जारी की गई।

दस्तखत.....

ओहदा.....

मुहर

| मुदई | रूपये | पैसे | मुदायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | NIL | | फीस कमीश्नर | NIL | |
| फीस कमीश्नर | | | बबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर